रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, सितम्बर 25—अक्तूबर 1, 2011, शनिवार/आश्विन 3—आश्विन 9, 1933
No. 40] NEW DELHI, SEPTEMBER 25—OCTOBER 1, 2011, SATURDAY/ASVINA 3—ASVINA 9, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 272.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, अनुसंधान अधिकारी (भाषा)/भाषाविद के भर्ती नियम, 2009 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (भाषा)/भाषाविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, अनुसंधान अधिकारी (भाषा)/भाषाविद भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैण्ड व ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी (भाषा)/भाषाविद	6* (2011) अनुसंधान अधिकारी (भाषा)-5 पद/ भाषाविद-1 पद *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	पी.बी.-3, (रु. 15600-39100) ग्रेड पे 5400 रु.	चयन पद	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पणी** : आयु के निर्धारण के के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी । (न कि असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि ।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए एक वर्ष

(7)	
(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा अर्ध-सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत संगठन में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान अथवा अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी 1 :** अन्यथा रूप से सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अभिलिखित कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग अर्हताओं को शिथिल कर सकता है । **टिप्पणी 2 :** यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी मिलने की संभावना नहीं है जिनके पास उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव हो तो वह लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल कर सकता है ।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**पदोन्नति :** पे बैंड पीबी-2, (9300-34800 रु.) और ग्रेड पे रु. 4200 में, अन्वेषक (भाषा) जिन्होंने ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो । **टिप्पणी 1 :** जहां उन कनिष्ठों की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने पात्रता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे वांछित पात्रता अथवा अर्हक सेवा की आधे से अधिक पात्रता अथवा अर्हक सेवा अथवा 2 वर्ष जो भी कम हो, रखते हों और जिन्होंने अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपने कनिष्ठों के साथ अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो । **टिप्पणी 2 :** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा वह तारीख जिससे छठें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा अर्ध-सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत संगठन के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड पे 4800 रु. या समकक्ष में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(11)	
	(iii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड पे 4600 रु. में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) कालम (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : **टिप्पणी 1 :** फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति किए जाने के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति पर नियुक्ति किए जाने के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पणी 2 :** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । **टिप्पणी 4 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, इसमें एक समान ग्रेड पे या वेतनमान में एक से अधिक संशोधन से पूर्व के वेतनमान का विलय शामिल नहीं है और यह लाभ केवल उन्हीं पदों पर मिलेगा जहां किसी उन्नयन के बगैर ग्रेड पे या वेतनमान को सामान्यत: प्रतिस्थापित किया गया है ।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल पदाधिकारी : 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य 3. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त —सदस्य **समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार हेतु) में शामिल पदाधिकारी :** 1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य 3. अपर महारजिस्ट्रार, भारत अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-16011/3/2000-प्रशा.-II/प्रशा.-V]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 27th September, 2011

G.S.R. 272.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Research Officer (Language)/Linguist, Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer (Language)/Linguist in the Office of the Registrar General, India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Research Officer (Language)/Linguist Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer (Language)/ Linguist	6* (2011) Research Officer (Language)-5 posts Linguist-1 post *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 (Rs. 15600—39100) Grade Pay of Rs. 5400	Selection post	Not exceeding thirty-five years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India

		(6)
		(and not the closing dat prescribed for those i Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Master's Degree in Linguistics from a recognised University; (ii) three years' experience in research or teaching in the field of Linguistics from any Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations. **Note 1 :** Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recoreded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be avaiable to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	One year for direct recruits and promotees.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Investigator (Language) in the Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) and Grade Pay of Rs. 4200 with eight years regular service in the Grade.

(11)

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract) :

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) and Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) and Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where

	(11)
	there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs —Member 3. Registrar General and Census Commissioner for India —Member **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—** 1. Registrar General and Census Commissioner for India —Chairman 2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs —Member 3. Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-16011/3/2000-Ad. II/Ad-V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 273.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (प्रतिरूपकार) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 को अधिक्रांत करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रतिरूपकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (प्रतिरूपकार) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।